प्रेषक,

श्री [illegible] गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 3674/15-17-3-83/91-[illegible]

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
भवन 2/19, [illegible] अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-17

लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 19[illegible]

विषय:- ग्रीन वुड हायर सेकेण्डरी स्कूल, रामपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रीन वुड हायर सेकेण्डरी स्कूल, रामपुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान देहाती और पिछड़े एवं निर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे उनका पालन करना इस संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

6- विद्यालय में पुस्तकालय तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

(ख) विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।

...2/-

2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।

3- शेष कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें यथासम्भव राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-गत निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।

5- विद्यालय के अध्यापकों/ कर्मचारियों पर भविष्य निधि योजना लागू की जायेगी।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

([illegible] गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 3674(1)/15-7-[illegible]-तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर।
4- निदेशक, अखिल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रबन्धक, मीनाक्षी हायर सेकेण्डरी स्कूल, रामपुर।

आज्ञा से,

([illegible] गौतम)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

संख्या 3674/19-17-9-83-91

श्री एस0एस0 गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री ऐजूकेशन,
क0क्ष0 2/89, संतबिहार अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली

शिक्षा अनुभाग – 17

दिनांक 29.09.1983

विषय : ग्रीनवुड हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामपुर को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ग्रीनवुड हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामपुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री ऐजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बधता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों / शर्तों के आधीन आपत्ति नहीं है :–

<u>(क) सामान्य प्रतिबन्ध</u> :–

1. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा चयनित एक सदस्य होगा।
2. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगी तथा उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विषयों में विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
4. संस्था के सभी अध्यापक / अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण एवं शिक्षेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
5. राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे उनका पालन करना संस्था के लिए अनवार्य होगा।
6. विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

<u>(ख) सामान्य प्रतिबन्ध</u> :–

1. विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय–समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।

PHOTOSTAT COPY
ATTESTED

NOTARY
Abhaya Shanker Saxena
Notary/Public
R.No. 39(17)2001
Distt Rampur
GOVT. OF U.P. (INDIA)

NOTARY
RAMPUR U.P

2. विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का सभा कक्ष, दो प्रशिक्षिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
3. कर्मचारियों की सेवा–शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुबन्ध सेवा एवं नियुक्ति लाभ कराये जायेंगे।
4. विद्यालय का लेखा–जोखा निर्धारित प्रपत्रों / पंजिकाओं मे रखा जायेगा।
5. विद्यालय के अध्यापकों /कर्मचारियों पर भविष्य निधि योजना लागू की जायेगी

2. उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

एस0एस0 गोतम
संयुक्त सचिव

PHOTOSTAT COPY
ATTESTED

NOTARY
Abhaya Shanker Saxena
Notary/Public
R. No. 59(17)2001
Distt Rampur
GOVT. OF U.P. (INDIA)

NOTARY
RAMPUR